

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 128/2022 राजस्व अपील

1. राधेश्याम पुत्र छोगा जाति नायक(भोपा) निवासी ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 16.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम राधेश्याम प्रकरण संख्या 48/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 24.06.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्त ने संवत् 2075 में ग्राम राणोली की भूमि खसरा नं0. 157/689 रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह पर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त को बिना सुने ही एकतरफा में निर्णय दिनांक 16.08.2018 पारित कर अपीलान्त को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का यह निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना सुने एकतरफा में विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला ना ही अपीलान्त की असालतन तामील ही हुई है। बिना तामील हुए ही इकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया।



अति. जिला कलक्टर
दौसा


प्रकरण संख्या : 128 / 2022 राजस्व अपील

अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी साबित नहीं हुआ है। बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलान्ट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट अत्यन्त गरीब ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2018 में से 90 दिन के सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत् 2075 में ग्राम राणोली में स्थित भूमि खसरा नं०. 157/689 रकबा 0.02 है० किस्म चरागाह पर आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 16.08.2018 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्व अपील प्रकरण संख्या 26/2019 राधेश्याम बनाम राज. सरकार पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2019 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2018 को यथावत रखा गया था। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रकरण संख्या 26/2019 राधेश्याम बनाम राज. सरकार पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2019 द्वारा अपील खारिज की जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर पुनः अपील इसी न्यायालय में पेश की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण संख्या 48/2018 सरकार बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार बहरावण्डा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 की पालना कराया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।


(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

